उत्तराखण्ड विधान सभा

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्याः 54 /वि0स0/64/संसदीय/2019

देहरादून, दिनांक : 14 फरवरी, 2019

अधिसूचना/प्रकीर्ण

सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 12 फरवरी, 2019 के उपवेशन में नियम-310 के अन्तर्गत जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु के सम्बन्ध में दी गयी सूचना के आलोक में माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा दिये गये विनिश्चय कि:-

"इस दुःखद घटना के लिए सम्पूर्ण प्रदेश एवं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के आलोक में यह आवश्यक एवं समसामयिक है कि इस माननीय सदन की एक समिति घटना स्थल का स्थलीय अध्ययन करें और इस प्रकरण के विभिन्न घटकों/अवयवों यथा शराब को अवैध रूप से बनाने, आपूर्ति एवं असामाजिक तत्वों की संलिप्तता, समस्या के निराकरण के लिए दीर्घकालिक निदान प्रक्रिया एवं सामाजिक संचेतना जागृत करने के लिए सुझाव दें। यह समिति यह भी सुझावित कर सकेगी कि शोक संतप्त परिवारों के लिए राज्य सरकार तात्कालिक एवं दीर्घकालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी संस्तुतियां देगी। यह समिति अपनी जो भी संस्तुतियां देगी, वह मा0 सदन के सम्मुख भी प्रस्तुत की जायेगी।

मैं राज्य सरकार को भी निर्देशित करता हूं कि वह एक बहुआयामी योजना जिसमें इस जहरीली शराब से पूर्ण मुक्ति सम्भव हो सके तत्काल प्रस्तुत करें एवं प्रशासनिक तंत्र को भी स्पष्ट निर्देश दिये जाये कि ऐसी घटनायें घटित न हो एवं इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की स्वतः स्पष्ट प्रक्रिया भी निर्धारित की जाय।"

उक्त के क्रम में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड की विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 188 (1) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु तथा आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में दिनांक 13 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार माननीय सदस्य **श्री खजान दास के सभापतित्व** में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की है:-

1. श्री सुरेश राठौर,	सदस्य,
2. श्री देशराज कर्णवाल,	सदस्य,
3. श्रीमती ममता राकेश,	सदस्य,
4. श्री शक्ति लाल शाह,	सदस्य,
5. श्री राजकुमार तथा	सदस्य,
6. श्री मुकेश सिंह कोली।	सदस्य,

समिति इस सत्र के अन्तिम उपवेशन से पूर्व ही अपना प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)

सचिव।

संख्याः 54 /वि0स0/64/संसदीय/2019, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. माननीय अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ,
2. माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. माननीय उपाध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव को माननीय उपाध्यक्ष की सूचनार्थ,
4. माननीय मंत्रियों के निजी सचिव को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
5. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
6. उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
7. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, देहरादून,
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
9. प्रमुख सचिव/ सचिव, आबकारी विभाग उत्तराखण्ड शासन,
10. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
11. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग,
12. उप सचिव, (शोध एवं संदर्भ) विधान सभा को वेबसाइट हेतु,
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर राजपत्र की दस प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।